Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to set up a bench of Gujarat High Court at Rajkot-laid.

श्री मोहनभाई कुंडारिया (राजकोट): सौराष्ट्र की आबादी करीबन 2.5 करोड है, और सौराष्ट्र में हाई कोर्ट की बेंच नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों को अपने अदालती कार्यों हेतु गाँधीनगर जाना पड़ता है जबकि गांधीनगर हाई कोर्ट में करीबन 45 प्रतिशत केस सौराष्ट्र एरिया से होते हैं और अपने केस हेतु पक्षकारो को राजकोट सहित सौराष्ट्र के अन्य जिलों से गांधीनगर जाने में 6 से 8 घंटे का समय लगता है ।

वर्तमान में गुजरात में एक भी हाई कोर्ट की डिवीज़न बैंच नहीं है अगर राजकोट में हाई कोर्ट के डिवीज़न बैंच देने की मंजूरी मिलती है तो सौराष्ट्र के अन्य जिलो यथा मोरबी, जूनागढ़, जामनगर, अमरेली, भावनगर और सुरेंद्रनगर के पक्षकारो को भी अपने केस के लिए गांधीनगर के बजाये राजकोट ज्यादा नजदीक होगा ।

अतः मैं सरकार से गुजरात हाई कोर्ट की डिवीज़न बैंच, राजकोट में दिए जाने की सौराष्ट्र की जनता की मांग सरकार के समक्ष रखता हूँ ।